Cooperative Press, Jaipur/2014

प्ररूप–8
[नियम 13(3) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
....विधान सभा/$संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के।

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,
मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और उसे शुद्ध कर दिया जाए। मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :–

1. आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

निर्वाचक नामावली का भाग सं.		उस भाग में क्रम सं. :	
1 जनवरी,....................#– को.....................आयु :	वर्ष :	मास :	लिंग(पुरूष/स्त्री/तृतीय लिंग) :
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है :	तारीख :	मास :	वर्ष :
*पिता/माता /पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	

2. **साधारण निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :**							
मकान/गृह सं.							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क							
नगर/ग्राम							
डाकघर	पिन कोड						
तहसील/ताल्लुक/मंडल/थाना :							
जिला :							
मोबाइल :	ई–मेल :						

3. **निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के ब्यौरे (यदि इस या किसी अन्य निर्वाचन –क्षेत्र में जारी किया गया है)**
निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र सं. :
निर्वाचन –क्षेत्र का नाम :

4. **शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे**
इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेरा नाम – *आयु/*मेरे पिता /माता/पति का नाम/*लिंग/पता/*निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र सं. *शुद्ध कर दिया जाए।

स्थान :
तारीख : **निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

टिप्पण– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।
$उन संघ राज्यक्षेत्रों की, जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू–कश्मीर राज्य की दशा में।
#कृपया वर्ष अर्थात् 2014, 2015 आदि दें।
अनुपयुक्त विकल्प को काट दें

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है)

श्री /श्रीमती /कुमारी...के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्ररूप 8 में आवेदन को स्वीकार।/ नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार *किए जाने [नियम 18*/20*/26*/(4)$ के अधीन या अनुसरण में] या नामंजूर किये जाने[नियम 17*/20*/26(4)$ के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारणः

स्थान :	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा)
तारीख :		

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

$निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरंतर अद्यतन करने के दौरान।

क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की टिप्पणिया (अर्थात् बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षक अधिकारी)

की गई कार्रवाई की संसूचना

पृ ष्ठ के अनुभाग 2 को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और आवेदक द्वारा अनुभाग 1 में दिये गए पते पर आवेदक को डाक द्वारा भेजा जाना है।

-------------------------------- पहला मोड ------------------------------------

अनुभाग 1

**श्री /श्रीमती /कुमारी.. का प्ररूप 8 में आवेदन

**(पूरा पता)

गृह /मकान संख्या :...................................गली /क्षेत्र /परिक्षेत्र /मोहल्ला /सड़क :...

कस्बा/गांव :..डाकघर :..पिन कोड :.................................

तहसील/ताल्लुका/मंडल/थाना :...जिला :...

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा

नि. रजि. प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं

-------------------- दूसरा मोड -----------------

अनुभाग 2

(क) स्वीकार कर लिया गया है एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र..के भाग सं. ....की क्रम सं. ....पर प्रविष्टि को तद्नुसार संशोधित कर लिया गया है।

(ख) ....कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता ....

....

आवेदन प्ररूप–8 भरने के लिए दिशा–निर्देश

सामान्य अनुदेश

प्ररूप–8 कौन दाखिल कर सकता है

1. उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम पहले से ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है तथा विवरण निर्वाचक नामावली में मुद्रित है, प्रविष्टियों में संशोधन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति प्ररूप 8 में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित विवरण में सुधार के लिये आवेदन पत्र दाखिल नहीं कर सकता।

प्ररूप–8 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचक नामावली में सम्मिलित व्यक्ति के विवरण में संशोधन के लिये प्ररूप 8 दाखिल किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी अंतिम निर्वाचक नामावली में अपने से संबंधित प्रविष्टि के संशोधन के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप–8 कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ–साथ निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

प्ररूप–8 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक का नाम पहले से नामावली में सम्मिलित है। खाली स्थान में निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदन के भाग–1 में आवेदक अपना नाम भरें जैसा निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट होना चाहिये। यदि निर्वाचक नामावली में आपका संक्षिप्त नाम प्रविष्ट है और आप अपना पूरा नाम मुद्रित कराना चाहते हैं तब अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आपका कोई उपनाम नहीं है तो आपकों दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां जाति का नाम मतदाता के नाम या उपनाम का भाग हो। श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं किया जाना है।
3. निर्वाचक सूची के जिस भाग में आपका नाम प्रविष्ट है उसकी भाग संख्या तथा सूची में अपने नाम की क्रम संख्या का उल्लेख करें। यह अनिवार्य है।
4. **उम्र**

   इसी तरह, उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली मुद्रित है आपको अपनी उम्र वर्ष एवं महीने में अंकित करनी चाहिऐ। यह अर्हता तिथि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ट में नीचे मुद्रित है।
5. **लिंग**

   प्रदत्त स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट उल्लेख करें, जैसे पुरूष/महिला। यदि आवेदक स्वयं को पुरूष या महिला में वर्गीकृत करना नहीं चाहते तो वे अपना लिंग ''तृतीय लिंग'' लिख सकते हैं।
6. **जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)**

   प्रदत स्थान में जन्म तिथि, दिनांक/माह/वर्ष के अनुसार अंकों में भरें। जन्मतिथि के लिये निम्नालिखित साक्ष्य संलग्न करें :–

(i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र या दीक्षा प्रमाण–पत्र या दीक्षा प्रमाण–पत्र ; या

(ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण–पत्र ; या

(iii) यदि कोई व्यक्ति दसवीं कक्षा या उससे अधिक उत्तीर्ण है तो वह दसवीं कक्षा की अंक–तालिका की एक प्रति देगा, यदि उसमें जन्म तिथि प्रमाण के रूप में जन्म तिथि अंतर्विष्ट हो ; या

(iv) आठवीं कक्षा की अंक–तालिका यदि उसमें जन्मतिथि अंतर्विष्ट हो ; या

(v) पांचवीं कक्षा की अंक–तालिका यदि उसमें जन्मतिथि अंतर्विष्ट हो ; या

— —

आवेदन की रसीद

**श्री /श्रीमती /कुमारी...

पता** ....

का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से

आवेदन प्राप्त करने वाला आफिसर के

हस्ताक्षर

(पता) ....

....

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा

(vi) यदि कोई व्यक्ति दसवीं कक्षा तक शिक्षित नहीं हो तो उसके माता–पिता में से किसी एक द्वारा उपाबंध– 1 में दिये गये विहित प्ररूप में घोषणा की गयी हो (उन मामलों में जहां माता–पिता द्वारा की गयी घोषणा आयु के प्रमाण के रूप में दी जाती है, आवेदक को बूथ स्तरीय अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा ; या)

(vii) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा या संबंधित नगर निगम/नगर समिति के किसी सदस्य द्वारा उसकी आयु के संबंध में प्रमाण पत्र कि व्यक्ति दसवीं कक्षा तक शिक्षित नहीं है और माता–पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है।

(viii) भारतीय पासपोर्ट

(ix) पेन कार्ड

(x) ड्राइविंग लाइसेंस

(xi) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी ''आधार कार्ड''

टिप्पणी : आयु का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन मामलों में अपेक्षित होगा जहां आवेदक 18 से 21 वर्ष के बीच की आयु का हो। समस्त अन्य मामलों में आवेदक द्वारा उसकी आयु की घोषणा को आयु के प्रमाण के रूप में लिया जायेगा।

7. नातेदार का नाम :

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें।

8. साधारण निवास स्थान

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक–पता उल्लिखित करें, जहा आप साधारणतया निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं। साधारण निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें :

(i) बैंक/किसान/डाक–घर का चालू पासबुक, या

(ii) आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेश ; या

(iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता–पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल ; या

(iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई/सुपुर्द की गई डाक /पत्र/मेल; या

(v) अंतिम किरायानामा।

टिप्पणी : बेघर व्यक्तियों के मामले में, बूथ स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर विश्राम करता है जो प्ररूप 8 में उसके पते के रूप में दिया गया है, प्ररूप 8 में अंकित पते पर रात्रि को जायेगा। यदि बूथ स्तरीय अधिकारी यह सत्यापित करने में समर्थ हो जाये कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर विश्राम करता है तो निवास स्थान का काई दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक नहीं होगा। बूथ स्तरीय अधिकारी ऐसे सत्यापन हेतु निरीक्षण के लिए एक से अधिक रात्रियों को जायेगा।

9. मतदाता फोटो पहचान पत्र का विवरण

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके निर्गत होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के भाग 3 में प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनो तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करें।

10. शुद्ध किये जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण

आवेदन के भाग 4 में उल्लिखित विकल्पों में से उन्हें इंगित करें जिनसे संबंधित को शुद्ध किया जाना है। अतः यह आवेदन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आपने आपने नाम, उम्र, जन्मतिथि, नातेदार का नाम, लिंग, पता तथा फोटो पहचान पत्र की सही प्रविष्टि आवेदन के भाग 1,2 व 3 में यथास्थन कर दी है। इस भाग 4 में आपकों स्पष्ट रूप से टिक का चिन्ह लगाकर इंगित करना है कि आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर किस प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जाना है। जिन विकल्पों का संशोधन अपेक्षित नहीं है उसे कृपया काट दें।

अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के छायाचित्र के साथ मुद्रित होती है। यदि आवेदन गलत छायाचित्र को शुद्ध करने के लिये दिया गया हो तब आवेदक आवेदन के भाग 4 में मेरा छायाचित्र उल्लिखित कर सकते हैं और यदि संभव हो तो अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र आवेदन के साथ संलग्न करें।

कृपया प्राप्ति स्वीकृति और सूचना भाग पर आपना पूरा नाम और पता भी दें।

कृपया प्ररूप में मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई.डी. दें। यदि इन्हें दिया जाता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इनका उपयोग आवेदक के साथ संसूचना के लिए, जब कभी भी अपेक्षित हो, किया जा सकता है।

आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. मतदाता सूची में पंजीयन एवं अन्य जानकारी प्राप्ति हेतु आपके मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

   + मतदान केन्द्र का नाम एवं नम्बर ....

   बूथ लेवल अधिकारी का नाम /पता ....

   बूथ लेवल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ....

   (+ नोट :– उपरोक्त तीनों प्रविष्टियां बूथ वेवल अधिकारी द्वारा भरी जानी है।)

2. मतदाता सूची में अपना नाम देखने एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी हेतु भारत निर्वाचन आयोग की वैबसाईट **www.eci.nic.in** एवं **www.ceorajasthan.nic.in** निर्वाचन विभाग की वैबसाईट देख सकते हैं।

3. मतदाता फोटो पहचान पत्र /मतदाता सूची एवं निर्वाचन विभाग से संबंधित अन्य जानकारी /शिकायतों के निवारण हेतु विभाग के काल सेन्टर के दूरभाष नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं।